(प्रतिलिपि आदेश दिनांक 14.10.2022)

न्यायालय–नवम् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (म0प्र0)

प्रतिभूति आवेदन क्रमांक 2848 / 2022 FN- BA/20215/ 2022 पुलिस स्टेशन – विश्वविद्यालय धारा–376 भा.द.सं. 1860	लखन वर्मा पुत्र श्री अर्जुन वर्मा, आयु 29 वर्ष, व्यवसाय–ड्राइवर, निवासी–गुढ़ा गुढ़ी का नाका कम्पू लश्कर, ग्वालियर (म0प्र0) –––**आवेदक /अभियुक्त** बनाम म0प्र0 शासन द्वारा पुलिस थाना **विश्वविद्यालय** जिला ग्वालियर (म0प्र0) ––**अनावेदक**

14.10.2022 यह नियमित प्रतिभूति आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 मान्नीय सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेश से निराकरण हेतु अंतरण पर प्राप्त हुआ।

आवेदक/अभियुक्त लखन वर्मा की ओर से श्री एस.डी. सिंह अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री गिरीश शर्मा उपस्थित।

फरियादी की ओर से एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 301 (2) दं.प्र.सं. प्रस्तुत कर शासकीय अधिवक्ता को एसिस्ट किये जाने हेतु श्री सुरेश अग्रवाल अधिवक्ता को अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया, जिसकी प्रतिलिपि विपक्षी अधिवक्ता को प्रदान की गई। बाद विचार निवेदन स्वीकार किया गया। श्री सुरेश अग्रवाल अधिवक्ता को शासकीय अधिवक्ता को असिस्ट करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री एस.डी. सिंह ने व्यक्त किया कि वर्तमान आवेदन अन्तर्गत धारा 439 द.प्र.सं. पर बल नहीं देना चाहते हैं, नोटप्रेस में निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उक्त आशय की टीप हासिये पर अंकित कराई गई।

चूंकि आवेदक/अभियुक्त की ओर से उक्त आवेदन पर बल न देना व्यक्त किया, इस कारण से आवेदन नोटप्रेस में निरस्त किया जाता है।

केसडायरी संबंधित थाने की ओर प्रेषित हो।

प्रकरण समाप्त। परिणाम अंकन पश्चात् प्रकरण नियत समयावधि में अभिलेखागार में निक्षेपित किया जावे।

सही/–

(समीर कुलश्रेष्ठ)

नवम् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश

ग्वालियर (म0प्र0)